

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



सत्यमेव जयते

पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्ग/ सी. ओ./रायपुर/17/2002.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 139]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 4 जून 2002—ज्येष्ठ 14, शक 1924

वित्त तथा योजना विभाग

[वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग]

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 जून 2002

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10/54/2002/वा.क. (पं.) पांच (67).—रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का संख्यांक 16) की धारा 78 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार पत्रद्वारा समग्र समय पर यथा संशोधित इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 818-635 पांच पू. अ. दिनांक 24-2-1975 के अधीन प्रकाशित रजिस्ट्रीकरण फीस की सारणी में निम्नलिखित संशोधन कर्मों के तथा उक्त अधिनियम की धारा 78 द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार उसे प्रकाशित करती है, अर्थात् :—

संशोधन

रजिस्ट्रीकरण फीस की उक्त सारणी में :—

पहले अनुच्छेद में टिप्पणी (6) के पश्चात् निम्न टिप्पणी अन्तः स्थापित की जाये, अर्थात् :—

1. जब कोई पावर ऑफ अटॉर्नी, सामान्य या विशेष, जिसके द्वारा अभिकर्ता को अचल संपत्ति में अंतरण का अधिकार दिया गया हो तथा मूल्यामान स्टाम्प शुल्क से प्रभार्य हो, निष्पादित की जाये तथा रजिस्ट्रीकरण के लिये प्रस्तुत की जाये तो ऐसी पावर ऑफ अटॉर्नी पर फीस सारणी के इस अनुच्छेद के अधीन प्रभारित की जानी चाहिए. यदि कोई हस्तांतरण-पत्र ऐसी पावर ऑफ अटॉर्नी के अनुसरण में पावर ऑफ अटॉर्नी के निष्पादक और ऐसे व्यक्ति के बीच जिसके पक्ष में उसे निष्पादित किया गया है, निष्पादित किया जाता है वहां हस्तांतरण-पत्र पर फीस, ऐसी फीस होगी जो सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर संगणित की गई फीस में से पावर ऑफ अटॉर्नी पर भुगतान की गई फीस को कम करके आती है.

2. दूसरे अनुच्छेद में—

1. जहां-जहां शब्द एवं अंक "5.00 रुपये" उपयोग में लाये गये हैं, के स्थान पर शब्द एवं अंक "50 रुपये" स्थापित किये जायें.
2. टिप्पणी के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पणी स्थापित की जाये, अर्थात्—

टिप्पणी : इस अनुच्छेद में प्रयुक्त शब्द "पट्टा" में पट्टा या कबूलियत जो पट्टे पर प्रतिलेख न हो, सम्मिलित हैं.

3. तीसरे अनुच्छेद के स्थान पर निम्न अनुच्छेद स्थापित किया जाये, अर्थात्—

तीसरा अनुच्छेद

रुपये पैसे

निम्नलिखित के रजिस्ट्रीकरण के लिये :—

क.	वसीयत	200.00
ख.	दत्तक लेने के लिये प्राधिकार या दत्तक ग्रहण विलेख	100.00
ग.	अटार्नी का सामान्य अधिकार (यथा मूल्यवान स्टाम्प शुल्क से प्रभार्य को छोड़कर) विवाह विच्छेद विलेख या डिग्री तथा न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि.	100.00

4. चौथे अनुच्छेद के स्थान पर निम्न अनुच्छेद स्थापित किया जाये, अर्थात्—

चौथा अनुच्छेद

निम्नलिखित के रजिस्ट्रीकरण के लिए :—

क.	ऐसे दूसरे विलेख के, जो पहले ही रजिस्ट्रीकरण किया जा चुका हो, कारण प्रतिफल के भुगतान की प्राप्ति अभिस्वीकृत का पृथक् विलेख, तथा	वही फीस जो कि मूल विलेख रजिस्ट्रीकरण के लिये अपेक्षित हो यदि ऐसी फीस 100 रुपये से अधिक न हो, अन्यथा 100 रुपये.
ख.	पूर्व में रजिस्ट्रीकृत किसी दस्तावेज को संशोधित, परिवर्तित अथवा शोधित, किंतु निरसित नहीं करने वाली दस्तावेज.	वही फीस जो कि मूल विलेख के रजिस्ट्रीकरण के लिए अपेक्षित हो, यदि ऐसी फीस 100 रुपये से अधिक न हो, अन्यथा 100 रुपये.

पांचवें अनुच्छेद के स्थान पर निम्न अनुच्छेद स्थापित किया जाये, अर्थात्—

पांचवां अनुच्छेद

निम्नलिखित के रजिस्ट्रीकरण के लिए :—	रुपये पैसे
क. अटार्नी का विशेष अधिकार (यथा मूल्यमान स्टाम्प शुल्क से प्रभाय को छोड़कर).	50.00
ख. सेवा या किराये का करार	50.00
ग. संलेखों के प्रतिलिपि या दूसरी प्रतियां	100.00
घ. बिना किसी प्रतिफल के सम्मति विलेख	100.00
ङ. पट्टे की तरह का करार बिना किसी प्रीमियम या भाड़े के	100.00
च. कोई भी अन्य दस्तावेज जो इस सारणी के किसी अन्य अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं लाया जा सकता हो.	50.00
छ. भू-सुधार या कृषक ऋण अधिनियम के अधीन ऋण के लिये प्रतिभूति या बंधक विलेख.	10.00

टिप्पणी :

1. बिना प्रतिफल के सम्मतियां चाहे मूल विलेख में अभिलिखित हो या पृथक् दस्तावेजों के विषय में हो, पृथक् लिखित रूप में होती है और उन पर खंड (घ) के अधीन रजिस्ट्रीकरण फीस प्रभारित की जायेगी.
2. प्रतिफल के लिये दी गयी सम्मतियां, चाहे मूल विलेखों पर या पृथक् रूप से लिखे गये विलेखों पर पृष्ठांकित हो, फीस सारणी के पहले अनुच्छेद में निहित तथा मूल्यमान के अधीन निर्धारित की जायेगी, परंतु जब ऐसी सम्मति (पहले) अनुच्छेद एक के अधीन प्रभारणीय मूल दस्तावेज पर पृष्ठांकित हो, तो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी दोनों संव्यवहारों के लिए प्रतिफल की रकमों की कुल राशि पर उस अनुच्छेद के अधीन रजिस्ट्रीकरण फीस का उद्ग्रहण करेगा.

छठे अनुच्छेद के स्थान पर निम्न अनुच्छेद स्थापित किया जाये, अर्थात्—

छठा अनुच्छेद

पूर्व में रजिस्ट्रीकृत किसी दस्तावेज को निरसित करने वाले दस्तावेज के पट्टे के समर्पण के या पट्टे के हस्तांतरित के दस्तावेज के जो किसी भी प्रतिफल के बिना हो, रजिस्ट्रीकरण के लिये.

वही फीस जो मूल दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण के लिये अपेक्षित हो, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि अधिकतम केवल 100 रु. होगा.

7. सातवें अनुच्छेद के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद स्थापित किये जाये, अर्थात्—

सातवां अनुच्छेद

रजिस्ट्रार द्वारा किसी भी दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण के लिए अतिरिक्त शुल्क

रु. 200.00 साधारण शुल्क के अतिरिक्त

टिप्पणी :

इस अनुच्छेद के अधीन अतिरिक्त फीस, वसीयतों तथा दत्तक ग्रहण के अधिकार-पत्रों के रजिस्ट्रीकरण पर देय नहीं होगी, वह ऐसे मामलों में भी उद्ग्रहणीय नहीं होगी, जिनमें सब-रजिस्ट्रार किसी निष्पादन में हितबद्ध होने के कारण या अन्य दूसरे पर्याप्त कारण से स्वयं रजिस्ट्रीकरण करने के लिये असमर्थ हो।

8. आठवें अनुच्छेद के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद स्थापित किया जाये, अर्थात्—

आठवां अनुच्छेद

समस्त मामलों में देय

रुपये पैसे

क. दस्तावेजों पर पृष्ठांकन की प्रतिलिपि करने के लिये नियत फीस

10.00

ख. संबंधित पुस्तक में रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों की प्रतिलिपि करने के लिये प्रत्येक पृष्ठ अथवा पृष्ठ के भाग के लिये जिसमें 100 शब्द हों।

2.50

टिप्पणी :

यदि दस्तावेज ऐसी स्थावर संपत्ति से संबंधित हो, जो एक से अधिक जिलों में स्थित हो और उसकी प्रतिलिपि धारा 65 या 66 के अधीन दूसरे जिले या अन्य जिलों को भेजना हो, तो प्रतिलिपिकरण फीस दगनी (या यथासंभव तीन गुनी आदि) देय होगी, एक बार रजिस्ट्रार में मूल प्रतिलिपि करने के लिये और भेजने के लिए प्रतिलिपि या प्रतिलिपियां करने के लिये (देखिये अनुच्छेद सत्रह) किन्तु उस अनुच्छेद की टिप्पणी (4) में उपर्युक्त दशा में फीस देय नहीं होगी।

9. नवें अनुच्छेद के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद स्थापित किया जाये, अर्थात्—

नवां अनुच्छेद

रजिस्ट्रीकरण के लिये प्रस्तुत किये गये छपे हुए दस्तावेजों की छपी हुई प्रतिलिपियों को तुलना करने के लिये प्रत्येक पृष्ठ या पृष्ठ के भाग के लिये जिसमें 100 शब्द हों।

रुपये पैसे

0.50

प्रत्येक प्रतिलिपि को दाखिल करने के लिये

10.00

10. दसवें अनुच्छेद के स्थान पर निम्न अनुच्छेद स्थापित किया जाये, अर्थात्—

दसवां अनुच्छेद

विशेष मामलों में देय :—

(अतिरिक्त में) धारा 64, 65 और 66 के अधीन भेजे जाने वाले ज्ञापन की प्रत्येक प्रतिलिपि के लिये, समान शुल्क. 10.00

टिप्पणी :

1. धारा 64, 65 के अधीन ज्ञापन जारी करने के लिये कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी, जबकि स्थावर संपत्ति से संबंधित न्यायालय की डिग्री या आदेश की प्रतिलिपि धारा 29 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिये उन सब-रजिस्ट्रार के कार्यालय में प्रस्तुत की जाये, जिनके उप जिले या जिले में संपत्ति का कोई भी भाग स्थित न हो.
2. धारा 65 (1) के अधीन उन मामलों में ज्ञापन के जारी करने के लिये कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी, जिनमें सब रजिस्ट्रार, निष्पादन में हितबद्ध होने या उस भाषा से, जिसमें वह बिलेख लिखा हुआ हो अवगत न होने के कारण या किसी अन्य पर्याप्त कारणों से स्वयं रजिस्ट्रीकरण करने के लिये असमर्थ हो.

11. ग्यारहवें अनुच्छेद के स्थान पर निम्न अनुच्छेद स्थापित किया जाये, अर्थात्—

ग्यारहवां अनुच्छेद

अनुवाद या लिप्यन्तर दाखिल करने के लिये (धारा 62) 10.00

12. बारहवें अनुच्छेद के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद स्थापित किया जाये, अर्थात्—

बारहवां अनुच्छेद

रजिस्ट्रीकरण दस्तावेज को डाक से लौटाने के लिये रुपये पैसे

क. एकल दस्तावेज के लिये 10.00

ख. उसी रजिस्टर्ड लिफाफे में लौटाये जाने वाले प्रत्येक अतिरिक्त दस्तावेज के लिये. 10.00

13. तेरहवें अनुच्छेद के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद स्थापित किया जावे, अर्थात्—

तेरहवां अनुच्छेद

- क. ऐसे दस्तावेज की अभिरक्षा के लिये जो उस दिनांक से जिसको इस पर रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकरण से इंकार किया गया पृष्ठांकित किया गया हो, एक माह तक बेदावेदार रही हो. 10.00
- पहले माह के पश्चात् ऐसे प्रत्येक माह या माह के भाग के लिये जिसके दौरान दस्तावेज बेदावेदार रही हो.

- | | |
|--|--|
| ख. ऐसे दस्तावेज की प्रतिलिपि की अभिरक्षा के लिए जो रजिस्ट्रीकरण के लिये प्रस्तुत की गयी हो या जिसका रजिस्ट्रीकरण किया जा चुका हो जबकि ऐसी प्रतिलिपि रजिस्ट्रीकरण कार्यालय में किसी व्यक्ति के आवेदन पत्र पर तैयार की गयी हो और एक माह तक बेदावेदार रही हो, उस दिनांक से जब से कि वह प्रतिलिपि आवेदक को दिये जाने के लिये तैयार थी. | 5.00
पहले माह के पश्चात् ऐसे प्रत्येक माह या माह के लिये जिसके दौरान भाग दस्तावेज बेदावेदार रही हो. |
|--|--|

टिप्पणी :

दस्तावेज के लिये 100.00 रुपये एवं प्रतिलिपि के लिये 50.00 रुपये अधिकतम फीस देय होगी.

14. चौदहवें अनुच्छेद के स्थान पर निम्न अनुच्छेद स्थापित किया जाये, अर्थात्—

चौदहवां अनुच्छेद

धारा 31, 33 या 38 के अधीन व्यक्तिगत निवास स्थान या जेल पर प्रत्येक उपस्थिति के लिये या धारा 33 या 38 के अधीन आयोग जारी करने के लिये.

	रुपये पैसे
क. यदि वह व्यक्ति जेल में हों	50.00
ख. यदि वह व्यक्ति कार्यालय में उपस्थित होने में शरीर से असमर्थ हो	75.00
ग. अन्यथा.	150.00

टिप्पणी :

1. इस अनुच्छेद में वर्णित फीस, साधारण फीस और रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के लिये 3.00 रुपये प्रति कि. मी. की दर से और रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के साथ-साथ जाने वाले भृत्य के लिये 1.50 रुपये कि. मी. की दर से यात्रा भत्ते के अतिरिक्त प्रभारित की जायेगी.
2. जब कोई उपस्थिति धारा 31 और 38 दोनों के अधीन उसी समय और स्थान पर होती हो तो और यदि केवल एक दस्तावेज के लिये ही रजिस्ट्रीकरण का समय हो तो केवल एक उपस्थिति की फीस और एक रजिस्ट्रीकरण फीस का उद्ग्रहण किया जायेगा, यदि रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जब एक दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण का संबंध हो एक अवसर पर प्रस्तुतकर्ता और दूसरे अवसर पर निष्पादनकर्ता या अन्य आवश्यक साक्षी के साथ उपस्थित होता हो तो दो उपस्थिति फीस का उद्ग्रहण किया जायेगा. यदि रजिस्ट्रीकरण अधिकारी व्यक्तिगत निवास स्थान या जेल पर उपस्थित होता हो और एक व्यक्ति कई दस्तावेज प्रस्तुत करता हो या एक से अधिक व्यक्ति, एक ही और उसी समय तथा स्थान पर उन सबके द्वारा संयुक्त रूप से निष्पादित कई दस्तावेजों के निष्पादन को स्वीकार करता हो अथवा करते हों, तो केवल एक ही उपस्थिति फीस उद्ग्रहण किया जायेगा किन्तु रजिस्ट्रीकरण फीस प्रत्येक दस्तावेज के संबंध में उद्ग्रहित होगी. यदि विभिन्न एक ही और उसी समय तथा स्थान पर ऐसे कई विभिन्न दस्तावेजों को, जो उनके द्वारा संयुक्त रूप से निष्पादित नहीं किये गये हों, रजिस्ट्रीकरण के लिये प्रस्तुत करते हों या उनका निष्पादन स्वीकार करते हों तो रजिस्ट्रीकरण प्रत्येक भिन्न संव्यवहार के लिये एक उपस्थिति फीस उद्ग्रहित करेगा, रजिस्ट्रीकरण फीस ऐसे समस्त दस्तावेजों पर देय होगी.
3. यदि एक अथवा अधिक स्त्री निष्पादकों के, जो पर्दानशीन हों, या उच्च कुल की हों, अंगूठा निशानी लेने के लिये किसी दायी अथवा सहायिका का रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के साथ व्यक्तिगत निवास स्थान पर जाना आवश्यक हो तो ऐसे व्यक्तिगत निवास स्थान पर की उसकी प्रत्येक उपस्थिति के लिये रजिस्ट्रीकृत किये गये लिखतों की संख्या का ध्यान दिये बिना पचास रुपये अतिरिक्त फीस प्रभारित

की जायेगी.

4. इस अनुच्छेद के अधीन उद्ग्रहणीय फीस भूमि अर्जन के लिये छत्तीसगढ़ सरकार के पक्ष में निष्पादित किये गये लिखत के रजिस्ट्रीकरण के लिये प्राइवेट निवास स्थान पर उपस्थित होने के लिये प्रभार्य नहीं होगी, परंतु जब किसी भूमि स्वामी की अनुपस्थिति के कारण उसी लिखत के रजिस्ट्रीकरण के संबंध में उप-रजिस्ट्रार से दूसरी बार उपस्थित होने की अपेक्षा की जाये, तो इस अनुच्छेद के अधीन उद्ग्रहणीय पूरी फीस उक्त स्वामी से प्रभारित की जायेगी.
 5. इस अनुच्छेद के अधीन वसूल की गयी सभी फीस कोषालय/उप-कोषालय में जमा की जायेगी, तत्पश्चात् रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर टिप्पणी (1) में विनिर्दिष्ट यात्रा भत्ते की राशि का हकदार होगा. राशि आहरित की जायेगी और उसके भुगतान कर दी जायेगी. इसी तरह भृत्य को टिप्पणी (2) के अधीन वसूल की गयी राशि का भुगतान कर दिया जायेगा और दायी को टिप्पणी (3) के अधीन वसूल की गयी राशि का भुगतान कर दिया जायेगा.
15. सोलहवें अनुच्छेद के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद स्थापित किया जाये, अर्थात्—

सोलहवां अनुच्छेद

क. रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा की गयी तलाशी के लिये प्रत्येक प्रविष्टि या दस्तावेज के लिये.

रुपये पैसे

प्रत्येक प्रविष्टि या दस्तावेज के लिये

5.00 प्रतिवर्ष

परंतु या और भी कि कोई व्यक्ति जो किसी संपत्ति का भार मुक्तता प्रमाण-पत्र पाने की वांछा करता है, वह खंड (1) के उपखंड (ख) के अधीन विहित तलाशी फीस के अतिरिक्त प्रत्येक प्रमाण-पत्र के लिये 10 रुपये नियत फीस चुकाने का दायी होगा.

रुपये पैसे

ख. आवेदक को निरीक्षण की अनुज्ञा देने के लिये प्रत्येक प्रविष्टि या दस्तावेज के लिये.

10.00 प्रतिवर्ष

ग. खंड (ख) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्राधिकृत बैंकों से कृषि प्रयोजन हेतु ऋण प्राप्त करने के प्रयोजन के लिये निरीक्षण की अनुज्ञा देने के लिये फीस निम्नानुसार होगी.

(एक) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के भूमि स्वामियों के मामले में. कुछ नहीं

(दो) उन भूमि स्वामी के, जो ऊपर मद (एक) के अंतर्गत न आते हों तथा 10 हेक्टेयर से अनधिक भूमि धारण किया हो, के मामले में. 15.00

16. सत्रहवें अनुच्छेद के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद स्थापित किया जाये, अर्थात्—

सत्रहवां अनुच्छेद

क. किसी व्यक्ति के लाभ के लिये कारणों, प्रविष्टियों तथा दस्तावेजों की प्रतिलिपियां तैयार करने या देने के लिये या धारा 65, 66 तथा 67 के अधीन

वही फीस जो ऊपर दिये गये अनुच्छेद आठ (2) के अधीन प्रभारणीय हो और अनुच्छेद

किसी दूसरे कार्यालय को भेजी जाने के लिये.

आठ (1) के अधीन 10.00 रुपये अतिरिक्त
नियत फीस.

ख. ऐसी प्रतियों को शीघ्रता से तैयार करने या देने के लिये

खण्ड (क) (क 1) के अधीन प्रभारणीय
फीस का दुगना.

टिप्पणी :

1. यदि किसी भी प्रविष्टि की प्रतिलिपि के लिये आवेदन पत्र में निम्नलिखित ब्यौरा में से कोई भी एक दिया हो तो कोई तलाशी फीस उद्ग्रहित नहीं की जायेगी.
(क) दावेदार या निष्पादन के नाम, दस्तावेज का प्रकार तथा रजिस्ट्रीकरण का दिनांक और निष्पादन द्वारा आवेदन होने की दशा में स्वीकृति का दिनांक, या
(ख) पुस्तक, जिल्द तथा पृष्ठ या वर्ष सहित दस्तावेज का अनुक्रमांक
 2. शासकीय कर्मचारी जिनके लिये सद्भावपूर्ण सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये रजिस्ट्रों का निरीक्षण करना या तलाशी लेना आवश्यक हुआ हो, फीस के भुगतान से मुक्त रहेंगे.
 3. सब-रजिस्ट्रारों द्वारा विनियमों के अधीन दावा करने वाले या उनका निष्पादन करने वाले व्यक्तियों को दी गई अस्वीकृति के कारणों की प्रतिलिपियां फीस से मुक्त रहेगी (देखिये धारा 71).
 4. धारा 65 या 66 अधीन प्रतिलिपि देने के लिये कोई फीस सत्रहवें अनुच्छेद के अधीन उस दशा में भारित नहीं की जायेगी, जबकि स्थावर संपत्ति से संबंधित न्यायालय की डिग्री या आदेश की प्रतिलिपि धारा 29 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिये उस सब-रजिस्ट्रार या जिले के रजिस्ट्रार के कार्यालय में प्रस्तुत की जाय, जिसके कि उप जिले या जिले में प्रभावित संपत्ति का कोई भी भाग स्थित न हो.
 5. शासकीय कर्मचारी जिन्हें सद्भावनापूर्ण सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये प्रविष्टि या लिखतों की प्रतिलिपियों की आवश्यकता हो शुल्क के भुगतान से मुक्त रहेंगे.
17. अठारहवें अनुच्छेद के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद स्थापित किया जाये, अर्थात्—

अठारहवां अनुच्छेद

रुपये पैसे

नक्शे की प्रतिलिपि देने के लिये (यदि आवेदक ऐसी प्रतिलिपि तैयार करने के लिए अपना निजी प्रबंध करे और उसका खर्चा वहन करे).

10.00

टिप्पणी :

शासकीय कर्मचारी जिन्हें सद्भावनापूर्ण सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये नक्शों की प्रतिलिपियों की आवश्यकता हो, फीस के भुगतान से मुक्त रहेंगे.

18. उन्नीसवें अनुच्छेद के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद स्थापित किया जाये, अर्थात्—

उन्नीसवां अनुच्छेद

	रुपये पैसे
क. वसीयत के मुहरबंद लिफाफे को जमा करने के लिये	100.00
ख. ऐसे लिफाफे को खोलने या निकालने के लिये	50.00

टिप्पणी :

मुहरबंद लिफाफे को खोलने के लिए आठवें अनुच्छेद में दिये गये मान के अनुसार विषय वस्तु की प्रतिलिपि करने का व्यय अतिरिक्त रूप में प्रभाव्य होगा.

19. बीसवें अनुच्छेद के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद स्थापित किया जाये, अर्थात्—

बीसवां अनुच्छेद

अटार्नी के अधिकार-पत्र के अभिप्रमाणीकरण के लिये

	रुपये पैसे
क. यदि विशेष हो	10.00
ख. यदि सामान्य हो	20.00

20. इक्कीसवें अनुच्छेद में, टिप्पणी (1) में—

- क. उपखण्ड (क) में शब्द एवं अंक "25 पैसे" के स्थान पर शब्द एवं अंक "2 रुपये" स्थापित किये जायें.
उपखण्ड (ख) में शब्द एवं अंक "2 रुपये" के स्थान पर शब्द एवं अंक "5 रुपये" स्थापित किये जायें.

21. बाईसवें अनुच्छेद में—

- क. खण्ड (1) में प्रारंभिक भाग में शब्द एवं अंक "10 रुपये" के स्थान पर शब्द एवं अंक "50 रुपये" स्थापित किये जायें.
ख. खण्ड (2) के प्रारंभिक भाग में शब्द एवं अंक "1 रुपये" के स्थान पर शब्द एवं अंक "10 रुपये" स्थापित किये जायें.
ग. खण्ड (3) के प्रारंभिक भाग में शब्द एवं अंक "1 रुपये" के स्थान पर शब्द एवं अंक "10 रुपये" स्थापित किये जायें.
घ. खण्ड (3) के अधीन टिप्पणी के नीचे परन्तुक में शब्द एवं अंक "1 रुपये" के स्थान पर शब्द एवं अंक "10 रुपये" तथा शब्द एवं अंक "10 रुपये" के स्थान पर शब्द एवं अंक "50 रुपये" स्थापित किये जायें.
ङ. खण्ड (4) के उपखण्ड (क), (ख) एवं (ग) में शब्द एवं अंक "10 रुपये" के स्थान पर शब्द एवं अंक "50 रुपये" स्थापित किये जायें.

यह अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 4 जून 2002

क्रमांक एफ 10/54/2002/वा.क. (पं.) पांच (67).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10/54/2002 वा. क. (पं.) पांच (67) दिनांक 4-6-2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 4th June 2002

NOTIFICATION

No. F 10/54/2002/CT (R)V (67).—In exercise of the powers conferred by Section 78 of the Registration Act, 1908 (No. XVI of 1908), the State Government hereby makes the following amendments in the Table of Registration Fees published under this Department's notification No. 818-635-V-SR, dated the 24th February, 1975 as amended from time to time and published the same as required by Section 79 of the said Act, namely :—

AMENDMENTS

In the said table of Registration fees :—

In Article I, after note (6), the following note shall be inserted, namely :—

1. When a power of attorney, general or special, authorising the agent to transfer immovable property and chargeable with advalorem stamp duty is executed and presented for registration, an advalorem registration fee under this Article should be charged on such power of attorney. If a conveyance relating to that property is executed in pursuance of power of attorney between the executant, of power of attorney and the person in whose favour it is executed, the fees on the conveyance shall be the fees calculated on the market value of the property reduced by fees paid on the power of attorney.

2. In Article II,

1. for the word and figure "Rs. 5.00" wherever they exist, the word and figure Rs. "50.00" shall be substituted.
2. for the note, the following note shall be substituted, namely—

Note : The term "lease" used in the Article includes a patta or Kabuliyat not being a counterpart of a lease.

3. for Article III, the following Article shall be substituted, namely—

ARTICLE-III

For the registration of :—

	Rs. p
(a) A will	200.00

	Rs. p.
(b) An authority to adopt or adoption deed	100.00
(c) A general power of attorney (excluding those chargeable with advalorem stamp duty), deed of divorce, or certified copy of a decree or order of the Court.	100.00
4. For Article IV, the following Article shall be substituted, namely—	
ARTICLE-IV	
For the registration of :—	
(a) A separate deed acknowledging receipt of payment of consideration on account of another deed which has been previously registered, and	The same fee as would be required for registration of the principal deed if such fees does not exceed Rs. 100, otherwise Rs. 100.
(b) A document amending, modifying or correcting but not cancelling any previously registered deed.	The same fee as would be required for registration of the principal deed if such fees does not exceed Rs. 100, otherwise Rs. 100.
5. For Article V, the following Article shall be substituted, namely—	
ARTICLE-V	
For the registration of :—	
	Rs. p.
(a) Special power of attorney (excluding those chargeable with advalorem stamp duty).	50.00
(b) Agreement of service or hire	50.00
(c) Counterparts or duplicates of instruments	100.00
(d) Consent deed without any consideration	100.00
(e) Agreement styled as a lease without any premium or rent	100.00
(f) Any other document which can not be brought under any other article of this table.	50.00
(g) Security of Mortgage deed for loan under the Land Improvement or Agriculturists Loans Act.	10.00
Note :	
1. Consents without consideration whether recorded on the principal deeds or made the subject of separate documents constitute separate instruments and should be charged to a registration fee under clause (d).	

2. Consents granted for consideration, whether endorsed on the principal deeds or on deeds drawn up separately should be charged under the advalorem scale prescribed in Article I of the Fee Table, but when such consent is endorsed on the principal document chargeable under Article 1, the registering officer should levy a registration fee under that Article, on the aggregate of the amounts of consideration for both transactions.

6. For Article VI, the following Article shall be substituted, namely—

ARTICLE-VI

For the registration of a document cancelling any previously registered document a surrender of lease or a transfer of lease without any consideration.

The same fee as would be required for registration of original document subject to a maximum of Rs. 100 only.

7. For Article VII, the following Article should be substituted, namely—

ARTICLE-VII

Extra fees for registration of any document by registrar

Rs. 200.00 in addition to the ordinary fee.

Note :

The extra fee under the Article is not payable on the registration of wills and authorities to adopt, nor will it be levied in cases where the Sub-registrar owing to his being interested in the transaction or for any other sufficient reason is unable to register himself.

8. For Article VIII, the following Article shall be substituted, namely—

ARTICLE-VIII

Payable in all cases :—

	Rs. p.
(a) Fixed fee for copying the endorsement on documents	10.00
(b) For copying registered documents into the appropriate book (for each folio or fraction of a folio of words 100).	2.50

Note :

If a document relates to immovable property situated in more districts than one and a copy thereof has to be forwarded to another under districts section 65 or 66, copying fee shall be payable twice over (or thrice etc. as the case may be) once for original copying into the register and again for making the copy or copies for despatch (vide Article XVII), except as provided in note (4) of that Article.

9. For Article IX, the following Article shall be substituted, namely—

ARTICLE-IX

	Rs. p.
(a) For comparing printed copies of printed documents presented for registration, for each folio or fraction of a folio of 100 words.	0.50

	Rs. p.
(b) For filling each copy	10.00
10. For Article X, the following Article shall be substituted, namely—	
ARTICLE-X	
	Rs. p.
Payale in special cases :—	
For every copy of a memorandum to be sent under section 64, 65 and 66, a uniform fee of.	10.00
Note :	
1. No fee will be charged for the issue of a memorandum under section 64, 65 when a copy of a decree or order of court relating to immovable property is presented for registration under section 29 in the office of the sub-registrar or district registrar, in whose sub district or district no portion of the property is situated.	
2. No fee will be charged for the issue of a memorandum under section 65 (1) in cases where the sub-registrar owing to his being interested in the transaction or to his being unacquainted with the language in which the deed is written or for any other sufficient reason is unable to register himself.	
11. For Article XI, the following Article shall be substituted, namely—	
ARTICLE-XI	
	Rs. p.
For filling a translation or transliteration (Section 62)	10.00
12. For Article XII, the following Article shall be substituted, namely—	
ARTICLE-XII	
	Rs. p.
For the return of registered document by post	
(a) For a single document	30.00
(b) For every additional document to be returned in the same registered cover.	15.00
13. For Article XIII, the following Article shall be substituted, namely—	
ARTICLE-XIII	
(a) For the custody of a document which has remained unclaimed for one month from the date on which it was endorsed registered	Rs. 10 for each month or a portion of a month after the first month

or registration refused.

during which the document is unclaimed.

- (b) For the custody of a copy of a document which has been presented for registration or registered when such a copy has been prepared in the registration office on the application of any person and is unclaimed for one month from the date the copy was ready for delivery to the applicant

Rs. 5.00 for each month or a portion of a month after the first month during which the copy is unclaimed.

Note :

The maximum fee is Rs. 100 for a document and Rs. 50 for a copy.

14. For Article XIV, the following Article shall be substituted, namely:—

ARTICLE-XIV

- (a) For each attendance at a private residence or jail under section 31, 33 or 38 or for the issue of a commission under section 33 or 38.

Rs. p.

- | | |
|---|--------|
| (a) If the person is in jail | 50.00 |
| (b) If the person is physically unable to attend the office | 75.00 |
| (c) Otherwise. | 150.00 |

Note :

- The fee mentioned in this Article shall be charged in addition to the ordinary fee and travelling allowance at the rate of Rs. 3.00 per Kilometre for the registration officer and at the rate of 1.50 paise per kilometre for peon accompanying the registering officer.
- When an attendance takes place under both section 31 and 38 at the same time and place relating to registration of one document, only one attendance fee and registration fee will be levied. If a registering officer, when the registration of one documents is concerned, attends on the presenter on one occasion and the executant or another necessary witness on another occasion, two attendance fees will be levied. If a registering officer attends at a private residence or jail and one person presents several documents jointly executed by them all at one and the same time and place only one attendance fee will be levied but the registration fee will be levied in the case of each document. Where several persons at one and the same time and place present for registration or admit execution of several different documents not jointly executed by them, the registering officer will levy one attendance fee for each distinct transaction, the registration fees being payable on all such documents.
- For every attendance at a private residence of a nurse or a female assistant, if required to accompany a registering officer to take the thumb impression of one or more female executants who are purdanashin or of high birth, an extra fee of Rs. 50 shall be charged irrespective of the number of documents registered at such private residence.
- The fee leviable under this Article shall not be chargeable for attendance or private residence for registration of documents in favour of the Government of Chhattisgarh for the purpose of land acquisition. Provided that when a Sub-registrar is required to attend second time in respect of the registration of the same instrument

due to absence of the owner of the land, full fees leviable under this article shall be charged from the said owner.

5. All fees recovered under the Article will be credited into treasury/sub-treasury. Therefore, the registering officer will be entitled to the whole amount of travelling allowance specified in note (1). The amount shall be drawn and paid to him. Similarly the peon will be paid the amount realised under note (1) and the nurse will be paid the amount realised under note (3).

15. For Article XVI, the following Article shall be substituted, namely—

ARTICLE-XVI

	Rs. p.
(a) For a search made by a registering officer for each entry or document.	5.00 for each year.
(b) For allowing an applicant to inspect for each entry or document.	10.00 for each year
(c) Notwithstanding anything contained in clause (b) fees for allowing the inspection for the purpose of securing loans for agricultural purposes from the authorised Banks shall be in the case of—	
(i) Bhumiswami belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes.	Nil
(ii) Bhumiswami not covered by item (i) above and holding land not exceeding 10 hectares.	25.00

16. For Article XVII, the following Article shall be substituted, namely—

ARTICLE-XVII

(a) For making or granting copies or reasons, entries and documents for the benefit of any person or to be forwarded to any other office under Sections, 65, 66 and 67.	The same fee as is chargeable under Article VIII (2) and in addition a fixed fee Rs. 10.00 chargeable under Article VIII (1).
(b) For making or granting such copies expeditiously.	Double the fee chargeable under clause (a) (a1).

Note :

- If an application for copy of any entry gives any one of the following particulars no search fees is to be levied.
 - Names of the claimant and executant, nature of the document and date of registration and in the case of an application by an executant, the date of admission; or
 - The book, volume and page or serial number or the document with year.
- Servants of the Government who may require to inspect or search the registers for bonafide public purposes are exempted from the payment of the fees.

3. Copies of reasons for refusal when granted by Sub-registrar to persons claiming under or executing documents are exempt from fees (Vide Sec. 71).
4. No fee under this Article shall be charged for the issue of a copy under Sections 65 or 66 when a copy of a decree or order of Court relating to immovable property is presented for registration under Section 29 in the office of the Sub-registrar in whose sub-district or district no portion of the property affect is situated.
5. Servants of the Government who require copies of entries or documents for bonafide public purposes are exempted from the payment of fees.

17. For Article XVIII, the following Article shall be substituted, namely—

ARTICLE-XVIII

	Rs. p.
(a) For granting copy of a map (provided that applicant makes his own arrangement for the preparation of such copy and bears the cost there of).	10.00

Note :

Servants of the Government who require copies of maps for bonafide public purposes are exempted from the payment of fees.

18. For Article XIX, the following Article shall be substituted, namely—

ARTICLE-XIX

	Rs. p.
(a) For deposit of a sealed cover containing a will	100.00
(b) For opening or withdrawal of such cover	50.00

Note :

For opening the sealed covers, the fees of copying the contents according to the scale laid down in Article VIII shall be charged additionally.

19. For Article XX, the following Article shall be substituted, namely—

ARTICLE-XX

For attestation of power of attorney—

	Rs. p.
(a) If special	10.00
(b) If General	20.00

20. In Article XXI—

- (i) In Note 1 (a) for the words "twenty five paise", the words "two rupees" shall be substituted;